BHILADI

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 575] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 26, 2010/चैत्र 5, 1932
No. 575] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 26, 2010/CHAITRA 5, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मार्च, 2010

का.आ. 700(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 465(अ), तारीख 26 अप्रैल, 2002 द्वारा गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 14 की पूरा खंड (भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को पहले से सौंपे गए 340.00 कि.मी. से 372.00 कि.मी. सहित) (राधानपुर-पालानपुर-गुजरात/राजस्थान सीमा सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 15 के 140.000 कि.मी. से 281.300 कि.मी. (राधानपुर-समाखियालि सेक्शन) तक के खंड को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) को सौंपा है;

और उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में, प्राधिकरण ने गुजरात राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 14 के 340.000 कि.मी. से 458.000 कि.मी. (पालानपुर-राधानपुर सेक्शन) और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 के 138.80 कि.मी. से 281.30 कि.मी. (राधानपुर-समाखियालि सेक्शन) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त सेक्शन कहा गया है), तक के खण्ड के प्रचालन और अनुरक्षण के लिये प्रचालन, अनुरक्षण और स्थानान्तरण (ओ.एम.टी.) के आधार पर मैसर्स पटेल हाईवे मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड जिसका रजिस्ट्रीकृत कार्यालय पेटकोन हाऊस, दूसरा तल, कोतेचा चौक, कालावद रोड, राजकोट-360007, गुजरात (जिसे इसमें इसके पश्चात रियायतग्राही कहा गया है) के साथ करार किया है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम, 2008 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 8क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1390(अ), तारीख 5 जून, 2008, अधिसूचना संख्याक का.आ. 1615(अ), तारीख 1 जुलाई, 2008 और अधिसूचना संख्यांक का.आ. 791(अ), तारीख 20 मार्च, 2009 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुये जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, यह अधिसूचित करती है कि उक्त सेक्शन के उपयोग के लिए फीस नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट आधार दर पर यांत्रिक यानों पर उद्गृहीत और संगृहीत की जायेगी और उक्त रियायतग्राही को वाणिज्यिक प्रचालन या फीस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से, इनमें से जो भी पश्चात्‌वर्ती हो, समाप्ति की तारीख तक वास्तविक फीस संगृहीत और प्रतिधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है ।

सारणी

उक्त सेक्शन के उपयोग के लिये आधार फीस

क्रम संख्या	यान का प्रवर्ग	प्रत्येक एक ओर की यात्रा के लिए प्रति यान प्रति किलोमीटर आधार फीस की दर (रुपए में)
(1)	(2)	(3)
1.	कार, जीप, वैन या हल्के मोटर यान	0.65
2.	हल्के वाणिज्यिक यान (एल सी वी), हल्के माल यान या मिनी बस	1.05
3.	बस या ट्रक	2.20
4.	अर्थ मूविंग उपस्कर या भारी संनिर्माण मशीनरी या बहुधुरीय यान (तीन से छह धुरी)	3.45
5.	अधिक बड़े यान (सात या अधिक धुरीय)	4.20

टिप्पण :

1. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए —

(i) "वास्तविक फीस" से उक्त सेक्शन के सड़क उपयोक्ताओं से निम्नलिखित आधार पर प्रभारित वास्तविक फीस अभिप्रेत है:

(क) प्रत्येक फीस प्लाजा के लिए नियत परियोजना राजमार्ग की लम्बाई;

(ख) उपर्युक्त सारणी में दी गई आधार फीस सम्यक रूप से सूचकबद्ध और पांच रुपये के निकटतम पूर्णांक में होगी ।

(ii) "वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब उक्त सेक्शन पर वाणिज्यिक प्रचालन उक्त करार के अनुसार में की गई पूरोभाव्य शर्तों को पूरा करने पर प्रारंभ होती है ।

(iii) "समाप्ति की तारीख" से वह तारीख अभिप्रेत है जब प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किया गया करार, उक्त करार के उपबंधों के अनुसरण में समाप्त होता है या समाप्ति की सूचना द्वारा समाप्त किया जाता है ।

(iv) उन शब्दों और पदों के जो इस अधिसूचना में प्रयुक्त हैं और इसमें परिभाषित नहीं हैं किन्तु उक्त सेक्शन की बाबत प्राधिकरण और रियायतग्राही के बीच किए गए करार में परिभाषित हैं, क्रमश: वही अर्थ होंगे जो उक्त करार में उन्हें समनुदेशित किए गए हैं ।

2. फीस का संग्रहण निम्नलिखित अवस्थानों के पथकर प्लाजाओं पर प्रत्येक पथकर प्लाजा के सामने विनिर्दिष्ट दूरी के लिए किया जायेगा।

क्रम संख्या	पथकर प्लाजा का अवस्थान	लम्बाई (कि.मी. में) जिसके लिए फीस संदेय है
1.	एन.एच.-14, 403 कि.मी.	65.00
2.	एन.एच.-14, 439 कि.मी.	63.20
3.	एन.एच.-15, 160 कि.मी.	68.00
4.	एन.एच.-15, 226 कि.मी.	64.30

[फा. सं. भाराराप्रा/13013/512/09-10/सी.ओ./जीसी-पालनपुर-समाखियाली (ओ.एम.टी.)]

एस. एस. गुलिया, उप-सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th March, 2010

S.O. 700(E).—Whereas, *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, number S.O. 465(E), dated the 26th April, 2002, issued under Section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988) (hereinafter referred to as said Act), the Central Government entrusted Full reach (including Km. 340.000 to Km. 372.000 already entrusted to National Highways Authority of India) of National Highway Number 14 (Radhanpur-Palanpur-Gujaratj Rajasthan Border Section) and Km. 140.000 to Km. 281.300 (Radhanpur-Samakhiyali Section) of National Highway Number 15 in the State of Gujarat to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the Authority);

And whereas, pursuant to the powers conferred by Section 14 of the said Act, the Authority has entered into an agreement with M/s. Patel Highway Management Private Limited having its Registered Office at PATCON House, 2nd Floor, Kotecha Chowk, Kalawad Road, Rajkot-360 007, Gujarat, India (hereinafter referred to as the Concessionaire) for operation and maintenance of the Palanpur-Radhanpur Section from Km. 340 to Km. 458 of national highway number14 and Radhanpur-Samakhiyali Section from Km. 138.80 to Km. 281.30 of National Highway Number 15 in the State of Gujarat (hereinafter referred to as said Section) on Operate, Maintain and Transfer (OMT) basis;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 8A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008, and in supersession of the Notification No. S.O. 1390(E), dated the 5th June, 2008, S.O. 1615(E), dated 1st July, 2008 and S.O. 791(E), dated the 20th March, 2009 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby notifies that there shall be levied and collected fees at the base rate, on the mechanical vehicles, specified in the following Table, for the use of the said Section and authorises the said Concessionaire to collect and retain the actual fee on and from the date of commercial operation or publication of fee notification in the Official Gazette, whichever is later, till the termination date.

TABLE

Base rate for the use of the said Section

Sl. No.	Category of Vehicle	Rate of base fee per Km. per vehicle per one way trip (in rupees)
(1)	(2)	(3)
1.	Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
2.	Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
3.	Bus or Truck	2.20
4.	Heavy Construction Machinery or Earth Moving Equipment or Multi Axle Vehicle (three to six axles)	3.45
5.	Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

Notes :

1. For the purpose of this notification,—
   - (i) "actual fee" means the fees actually charged from the road users of the said Section on the basis of :
     - (a) length of the project highway assigned to each fee plaza;
     - (b) base fee rates provided in the above Table duly indexed, and shall be rounded off to nearest Five Rupees;
   - (ii) "date of commercial operation" means the date on which commercial operation of the said Section begins after satisfying all Conditions Precedent in accordance with the said agreement;
   - (iii) "termination date" means the date on which the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire expires pursuant to the provisions of the said agreement or is terminated by termination notice;
   - (iv) words and expressions used in this notification and not defined but defined in the agreement entered into between the Authority and the Concessionaire in respect of the said Section shall have the same meaning as assigned to them respectively in the said agreement.
2. The fee shall be collected at the following location of Toll Plazas for the distance specified against each Toll Plaza:

Sl. No.	Location of Toll Plaza	Length (in km.) for which Fee payable
1.	Km. 403 of NH-14	65.00
2.	Km. 439 of NH-14	63.20
3.	Km. 160 of NH-15	68.00
4.	Km. 226 of NH-15	64.30

[F. No NHAI/13013/512/09-10/CO/GC-Palanpur-Samakhiyali (OMT)]

S. S. GULIA, Dy. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.